भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 476

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

वर्षा जल संचयन

476. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में वर्षा जल संचयन की प्रथा को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जल संकट पर प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बढ़ते जल संकट के प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय है और देशभर में वर्षा जल संचयन की पद्धति को बढावा के कार्य संबंधी प्रयास राज्य सरकार के अधिदेश के अंतर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल का संरक्षण करने का कार्य केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में, पानी की कमी को दूर करने हेतु वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

i. भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं।

ii. 15 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के तहत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमे अन्य बातों के साथ साथ वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा

देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जेएसए की पाँचवीं श्रृंखला के अंतर्गत जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल शहरी परिवर्तन और नवीकरण मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का एक अभिसरण है। इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में से एक छतों पर वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं सहित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत का कार्य करना शामिल है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान और गति और मजबूती प्रदान करने के लिए, 6 सितंबर 2024 को सूरत में "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल की शुरूआत की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के साथ-साथ भंडारण क्षमता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण वृद्धि को सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं/बोरवेल रिचार्ज के निर्माण के लिए सरकारी निकायों, उद्योगों, स्थानीय प्राधिकरणों, समाजसेवियों, रेजीडेंट वेलफेयर ऐसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और व्यक्ति-विशेष सहित सभी हितधारकों द्वारा सम्मिलित कार्रवाई को शमिल किया गया है।

iv. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में स्टॉर्म जल निकासी के माध्यम से ऐसे जल निकायों (जो सीवेज/प्रवाह प्राप्त नहीं कर रहे हैं) में वर्षा जल संचयन का प्रावधान करना हैं। शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए रोडमैप विकसित करते हुए शहरों द्वारा भूजल पुनर्भरण संवर्धन की कार्यनीति तैयार करने के लिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं को तैयार किया गया है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण पद्धतियों के बारे में जागरूकता सृजित की जाती है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों हेतु अपनाए जाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, उपाय एवं दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 जिनमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

vi. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है जो एक वृहद स्तरीय योजना है जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं को

दर्शाया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा जल के संचयन के लिए देश में लगभग 142 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

vii. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के कार्यों पर जोर दिया गया है और साथ ही वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

viii. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा पोषित और बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संरक्षण का कार्य शामिल है।

ix. ग्राम पंचायतों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, वित्त आयोग (एफसी) निधियों अथवा उनके पास उपलब्ध अन्य निधियों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को स्थापित करने की गतिविधि को पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किए जाने का विकल्प प्रदान किया गया है।

(ख): जल संकट से संबंधित जल शक्ति अभियान जेएसए: सीटीआर की मौजूदा प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन हेतु जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) विकसित किया गया है जिसके माध्यम से अभियान का मूल्यांकन और इसकी प्रभावशीलता की निगरानी की जाती है। जहां तक जेएसजेबी पहल का संबंध है, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित डेटा अपलोड करने के लिए जेएसए: सीटीआर पोर्टल के तहत एक अलग डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसके अलावा, इस अभियान के दौरान, जल संरक्षण की दिशा में जिला/राज्य प्राधिकरणों के प्रयासों की निगरानी करने और जिला/राज्य प्राधिकरणों को सहायता प्रदान करने हेतु जल शक्ति अभियान से जुडे जिला/राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारियों (सीएनओ) और तकनीकी अधिकारियों (टीओ) के केंद्रीय दलों को फोकस जिलों में क्षेत्रीय दौरे पर भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, जल संकट के प्रभाव को रोकने के उपाय करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों और हितधारकों को नियमित आधार पर इसके प्रति जागरूक बनाया जाता है।

(ग): सरकार द्वारा देश में बढ़ती जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना, जल भंडारण क्षमता का निर्माण और जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग जैसे विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जल नीति (2012), में अन्य बातों के साथ-साथ, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से नियोजित तरीके से वर्षा जल

संचयन, जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग, नदियों, नदी निकायों के संरक्षण की बात कही गई है। जल शक्ति मंत्रालय और इसके सहयोगी मंत्रालय पानी की कमी से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों/योजनाओं मे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा), जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) प्रधान मंत्री कृषि सिचांई योजना (पीएमकेएसवाई), अटल भूजल योजना (एबीवाई), कमांड क्षेत्र विकास और सहभागी सिंचाई प्रबंधन, सतही लघु सिंचाई योजनाएं और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार इत्यादि कार्य शामिल हैं।

*****